

परिशिष्ट-'अ'**विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1523 तारांकित (सत्र - जनवरी-फरवरी, 2024)**

अमृत 2.0 परियोजना अंतर्गत कुल 21.85 किमी. लम्बाई में जी.आर.पी पाईप लाईन को डी.आई. पाईप लाईन में बदला जाना प्रस्तावित है। जी हां, कार्यादेश जारी हो चुका है। योजना का सर्वे कर संविदाकार द्वारा ड्राइंग डिजाइन तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। ड्राइंग डिजाइन के अनुमोदन उपरांत स्थल पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा, तिथि बताया जाना संभव नहीं है। कार्यादेश अनुसार 24 माह दिनांक 26.09.2025 तक कार्य पूर्ण किया जाना निर्धारित है। मुख्य लाईन बदलने के दौरान शहरवासियों को पेयजल आपूर्ति नगर में स्थापित विभिन्न 490 ट्यूबवेल, वाणगंगा फिल्टर प्लांट एवं परिवहन के माध्यम से की जायेगी।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास